न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/140 दर्ज तिथिः– 22.04.2025

1. उमाराम पुत्र पूनमाराम
2. रेखाराम पुत्र पूनमाराम
3. मोहनराम पुत्र जगमालसिंह
4. हनुमानराम पुत्र जगमालसिंह
5. चैनी पुत्री जगमालसिंह
6. हेमीदेवी पुत्री जगमालसिंह
7. केसी पत्नी जगमालसिंह
8. वालीदेवी पत्नी जगमालसिंह
9. खेताराम पुत्र केशराराम
10. मघाराम पुत्र केशराराम
11. जेतीदेवी पत्नी केशराराम
12. धनाराम पुत्र कानाराम
13. भीयाराम पुत्र कानाराम

जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थी

बनाम

1. पुखराज पुत्र खेताराम
2. पाबूराम पुत्र खेताराम
3. पदमों पत्नी खेताराम
4. बाबूलाल पुत्र रतनाराम
5. भगाराम पुत्र रतनाराम
6. लाछीदेवी पत्नी रतनाराम
7. जगदीशकुमार पुत्र भैराराम
8. पप्पूराम पुत्र भैराराम
9. केसीदेवी पत्नी भैराराम
10. पपूराम दत्तक पुत्र खेताराम
11. चुनीदेवी पत्नी खेताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested

12. जसाराम पुत्र पूरखाराम
13. जोगाराम पुत्र पूरखाराम
14. डालूराम पुत्र पूरखाराम
15. पेमी पत्नी पूरखाराम
16. भैराराम पुत्र घमण्डाराम
17. रिड़मलराम पुत्र घमण्डाराम
18. हनुमानराम पुत्र घमण्डाराम
19. वरजू पत्नी घमण्डाराम
20. केहराराम पुत्र हरचन्दराम
21. रूपाराम पुत्र अचलाराम
22. मगाराम पुत्र केसराराम
23. करनाराम पुत्र जोराराम
24. खेमाराम पुत्र जोराराम
25. चौखाराम पुत्र जोराराम
26. देवाराम पुत्र विशनाराम
27. मांगाराम पुत्र विशनाराम
28. लाखाराम पुत्र विशनाराम
29. गिरधारीराम पुत्र पेमाराम
30. चनणाराम पुत्र पेमाराम
31. जोधाराम पुत्र पेमाराम
32. सताराम पुत्र पेमाराम
33. हनुमानराम पुत्र पेमाराम जाति जाट
34. ओमाराम पुत्र जगमालराम
35. हनुमानराम पुत्र जगमालराम
36. हिमताराम पुत्र जगमालराम
37. कबूदेवी पत्नी जगमालराम
38. जेठाराम पुत्र मोतीराम
39. रामाराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल
40. नाबालिग गिरीराज पुत्र पूराराम संरक्षक वली माता लेहरोदेवी
41. नाबालिग जगदीश पुत्र पूराराम संरक्षक वली माता लेहरोदेवी
42. लेहरोदेवी पत्नी पूराराम
43. बाबूलाल पुत्र जेठाराम
44. मानाराम पुत्र जेठाराम
45. सोनाराम पुत्र जेठाराम जाति सुथार
46. सुखराम पुत्र भगवानाराम
47. भेराराम पुत्र धीमाराम
48. भगवानाराम पुत्र धीमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested

49. भेराराम पुत्र धीमाराम
50. धनी पत्नी धीमाराम
51. केशाराम पुत्र हरदानराम
52. हड़मानराम पुत्र हरदानराम
53. पुखराज पुत्र खेताराम
54. पाबुराम पुत्र खेताराम
55. पदमो पत्नी खेताराम
56. बाबुलाल पुत्र रतनाराम
57. भगाराम पुत्र रतनाराम
58. लाछी पत्नी रतनाराम
59. भलाराम पुत्र भगवानाराम
60. जेठाराम पुत्र भगवानाराम
61. सोनाराम पुत्र भगवानाराम
62. धीराराम पुत्र धर्माराम
63. लाधुराम पुत्र धर्माराम
64. सदराम पुत्र धर्माराम
65. केसाराम पत्रु हरलाल
66. शंकराराम पुत्र हरलाल
67. सदराम पुत्र हरलाल
68. गवरी पत्नी हरलाल
69. उदाराम पुत्र जोधाराम
70. भेराराम पुत्र जोधाराम
71. सांवताराम पुत्र जोधाराम
72. मेघाराम पुत्र नारणाराम
73. एलसी पत्नी नारणाराम
74. एलसी पत्नी ठाकराराम
75. भजनलाल पुत्र ठाकराराम
76. मागीलाल पुत्र ठाकराराम
77. किशनाराम पुत्र जगराम
78. मालाराम पुत्र जगराम
79. रिड़मल पुत्र जगराम
80. लाधुराम पुत्र जगराम
81. भगवानाराम पुत्र लालाराम
82. झमकू पत्नी लालाराम
83. जेतीदेवी पत्नी धर्माराम
84. गंगाराम पुत्र ठाकराराम
85. पेम्पों पत्नी ठाकराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested

86. पूनमाराम पुत्र लिछमणाराम
87. वागाराम पुत्र लिछमणाराम
88. मोहनराम पुत्र वागाराम
89. मोहनलाल पुत्र वागाराम निवासी राणासर खुर्द
90. नरसी पुत्र सुरताराम
91. रामा पुत्र सुरताराम
92. हीरो पत्नी सुरताराम
निवासी अणदाणियों की बेरी, राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.... असल अप्रार्थी

93. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

..............तकमीम अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 18.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 106 / 10.4732 है0, 197 / 8.0856 है0, 49 / 26.6202 है0 मौजा राणासर खुर्द एवं खसरा संख्या 874 / 246 / 13.6622 है0 मौजा अणदाणियों की बेरी पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा, रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेशांक दिनांक 03.06.2024 की पालना में दिनांक 08.06.2024 को पटवारी हल्का राणासर खुर्द द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 106 / 10.4732 है0, 197 / 8.0856 है0, 49 / 26.6202 है0 मौजा राणासर खुर्द एवं खसरा संख्या 874 / 246 / 13.6622 है0 मौजा अणदाणियों की बेरी पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर की पत्थरगढ़ी दिनांक 08.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested

आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 08.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested

proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 जमाबंदी 2078(वर्ष 2021) से स्थायी ग्राम पीराणी गोदारों की ढाणी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम राणासर खुर्द एवं अणदाणियों की ढाणी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 08.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 106/10.4732 है0, 197/8.0856 है0, 49/26.6202 है0 मौजा राणासर खुर्द एवं खसरा संख्या 874/246/13.6622 है0 मौजा अणदाणियों की बेरी पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:43 IST
Reason: SelfAttested